<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25.05.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने 23/05/2025 को मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल), मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) व संबंधित संस्थाओं के मामले से जुड़ी जांच के संबंध में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में मेसर्स जेएएल, इसकी संबंधित संस्थाओं और इसके प्रमोटरों/निदेशकों के कार्यालय/परिसर शामिल थे। इसके अलावा, मेसर्स जेएएल के प्रमुख व्यावसायिक सहयोगियों से संबंधित कार्यालयों और परिसरों में तलाशी ली गई, जिनमें मेसर्स गौरसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गुलशन होम्ज़ प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ईडी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा मेसर्स जेएएल, मेसर्स जेआईएल और उनके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसमें जेपी विशटाउन (जेआईएल) और जेपी ग्रीन्स (जेएएल) जैसी परियोजनाओं में आवासीय अपार्टमेंट और भूखंडों के आवंटन के बहाने घर खरीदारों और निवेशकों को धन निवेश करने के लिए बेईमानी से लुभाना शामिल है।

दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में 15 परिसरों में किए गए तलाशी अभियान के दौरान, प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और समूह की कंपनियों के नाम पर अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ वित्तीय दस्तावेज और डेटा/डिजिटल डिवाइस और 1.70 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।

आगे की जांच जारी है।